मई, 2022 माह के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यकलापों का मासिक सारांश

I. स्वच्छ भारत मिशन

i. 4,371 शहरों/कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,317 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,354 शहरों को ओडीएफ+ के रूप में प्रमाणित किया गया है, 964 शहरों को ओडीएफ++ के रूप में प्रमाणित किया गया है और 9 शहरों को जल+ के रूप में प्रमाणित किया गया है। ओडीएफ, ओडीएफ+, ओडीएफ++ और जल+ प्रोटोकॉल में संशोधन के लिए 28 अप्रैल, 2022 को सभी राज्यों/यूएलबी और सेक्टर भागीदार के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी।

ii. 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालय गूगल मानचित्र पर "एसबीएम शौचालय" के नाम से नजर आते हैं।

iii. स्वच्छता ऐप एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है, जिसके माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समाधान नगर निगम दवारा किया जाता है। संशोधित संस्करण के माध्यम से नागरिक अपनी कोविड से संबंधित शिकायतों का निवारण भी संबंधित यूएलबी दवारा करा सकते हैं। स्वच्छता ऐप के कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें दर्ज की है, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया गया है, जो कुल समाधानों का 94% है।

iv. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 24 मई 2022 को एक आभासी कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण (एसएस) - एसएस 2023 के आठवें संस्करण का शुभारंभ किया।

v. सेप्टिक टैंकों और सीवरों के यांत्रिक अपशिष्ट की दिशा में परिवर्तन के संबंध में शहरों दवारा प्राप्त प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव (एचयूए) की अध्यक्षता में 6 मई 2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

vi. एमओएचयूए-यूएनडीपी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्लूएम) कार्यक्रम के लिए पहली परियोजना संचालन समिति (पीएससी) की बैठक 4 मई, 2022 को आयोजित की गई थी। बैठक में, एसबीएम 2.0 के उददेश्यों को प्राप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण घटकों पर प्रकाश डाला गया था। पहला घटक एसबीएम 1.0 में हासिल किए गए परिणामों

को बनाए रखना है। दूसरा कचरा मुक्त शहरों को सुनिश्चित करना होगा। एसबीएम 2.0 के लक्ष्यों की उपलब्धि में कचरे का प्रभावी और टिकाऊ प्रबंधन, स्रोत पृथक्करण से संबंधित व्यवहार परिवर्तन के साथ-साथ दक्षतापूर्ण ढंग से घर-घर जाकर संग्रह, प्रत्येक शहर में सामग्री वसूली सुविधाओं (एमआरएफ) का संचालन शामिल होगा और एमआरएफ की अधिकतम क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सही प्रौदयोगिकी आदि शामिल है।

II. स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)

i. माह के दौरान 1,498 करोड़ रू. की 65 परियोजनाओं को पूरा किया गया है, 90 करोड़ की 9 परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। अब तक, 180,802 करोड़ रू. की 7,638 परियोजनाओं का कार्य चल रहा है और 64,401 करोड़ रू. की 3,914 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

ii. उत्तर प्रदेश सरकार और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एनयूडीएम के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्य के सभी यूएलबी में शहरी सेवाओं के डिजिटलीकरण और मानकीकरण में उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता करेगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एनयूडीएम के माध्यम से शहरी सेवाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य स्तर और शहर स्तर के डैशबोर्ड और अन्य क्षमता निर्माण उपायों को विकसित करने में भी सहायता करेगा। इसके अलावा, जून, 2020 में भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय दवारा शुरू किए गए टयूलिप-द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार राज्य के शहरी स्थानीय निकायों और अन्य पैरास्टेटल्स में छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रतिबदध होगी।

iii. कर्नाटक सरकार ने 27 मई 2022 को आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के सभी 280 यूएलबी के लिए आधिकारिक तौर पर टयूलिप शुरू किया। श्री कुणाल कुमार, संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटीज मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने उदघाटन संबंधी संबोधन किया और शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन के महत्व के बारे में बताया, जिसके माध्यम से शहरी परिवर्तन की पुनर्कल्पनाओं के लिए नए विचारों और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. सभी राज्यों के लिए 377,640 करोड़ रुपये की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब तक, 82,392 करोड़ रू. लागत वाली परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी गई है। कुछ राज्यों ने अपने स्वीकृत एसएएपी से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं। ऐसे मामलों में पूरी अतिरिक्त राशि राज्यों/यूएलबी दवारा वहन की जाएगी। 28,407 करोड़ रुपये लागत वाली 4,281 परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है और 53,265 करोड़ रुपये लागत वाली 1,574 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर, लगभग 62,691 करोड़ रुपये लागत की अमृत परियोजनाओं का वास्तविक कार्य पूर्ण हो गया है/चल रहा है, जिसका अर्थ है कि लगभग 81% वास्तविक कार्य पूरा हो चुका है।

ii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए एंड ओई), सुधार प्रोत्साहन, और 25 चयनित शहरों में 'अमृत शहरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने' और 'लोकल एरिया प्लान (एलएपी) और टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस)' की उप योजनाओं के तहत 37,488 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

iii. 30 मई 2022 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय दवारा "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" अभियान और मिशन "अमृत सरोवर" पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया।

IV दीनदयाल अन्त्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

i. 8,906 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए गए हैं; 6,411 स्वयं सहायता समूहों को परिक्रामी निधि दी गई; 11,527 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया था और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए थे; 1467 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार दिया गया; व्यक्तिगत और सूक्ष्म उदयमों की स्थापना के लिए 6,596 लाभार्थियों को ऋण सहायता प्रदान की गई और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों को 5,710 ऋण दिए गए।

ii. पीएम पथ-विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत 48,71,607 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 35,04,764 को स्वीकृतियां दी गई और 32,32,300 को ऋण संवितरण किए गए हैं।

V प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)/सभी के लिए आवास (एचएफए)

i. महीने के दौरान पीएमएवाई (शहरी) 'सभी के लिए आवास' मिशन के तहत कुल 450.14 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

ii. प्रारंभ से, मिशन ने 1.23 करोड़ आवासों की मंजूरी दी है, जिनमें से 100.16 लाख आवास निर्माणाधीन है, जिसमें से 60.17 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है/ सुपुर्द किए जा चुके है।

VI. आवास

i. नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, जो नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।

ii. 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (नियमित- 25, अंतरिम -06) की स्थापना की है। लददाख, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ने नियमों को अधिसूचित किया है लेकिन अभी प्राधिकरण की स्थापना की जानी है।

iii. 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित-24, अंतरिम -04) की स्थापना की है।

iv. 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विनियामक प्राधिकरण रेरा के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटों का संचालन कर रहे है।

v. अब तक, देश भर में भू-संपदा विनियामक प्राधिकरणों दवारा 92,418 शिकायतों (महीने के दौरान प्राप्त 1,808 शिकायतों सहित) का निपटारा किया जा चुका है।

vi. रेरा के तहत अब तक 82,561 परियोजनाएं और 63,522 एजेंट पंजीकृत किए जा चुके हैं। माह के दौरान 2,271 परियोजनाओं और 1,060 एजेंटों को पंजीकृत किया गया है।

*****